बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-11/आ०5-105/2024- 475 पटना, दिनांक- 25/02/26

संयुक्त सचिव (प्र०को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-586, दिनांक-30.07.2024 के माध्यम से प्राप्त परिवादी श्रीमती कान्ति देवी, (पति-श्री रमेश शर्मा), ग्राम-गनियारी, पोस्ट-परियारी, थाना-किंजर, जिला-अरवल के परिवाद पत्र की जाँच कर मुख्य अभियंता(यॉंत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-53(को०), दिनांक-01.11.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में बिना पहली पत्नी से तलाक हुए श्री रमेश शर्मा, तत्कालीन वाहन चालक द्वारा एक अन्य महिला श्रीमती अनिता देवी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने एवं उनकी सेवा पुस्तिका में पति का नाम श्री रमेश शर्मा अंकित रहने का तथ्य प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

02. मुख्य अभियंता(यॉंत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-1107, दिनांक-29.05.2025 द्वारा श्री रमेश शर्मा, तत्कालीन वाहन चालक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

03. निलंबन के पश्चात श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-1708, दिनांक-07.08.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री शर्मा के पत्रांक-शून्य, दिनांक-19.01.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के क्रम में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर माननीय न्यायालय में maintenance case एवं समरूप मामले में पारित आदेशों का हवाला दिया गया है। उनके द्वारा complaint case No.-205/2023 में दिनांक-10. 11.2023 को पारित न्यायादेश का हवाला देते हुए यह उद्धृत किया गया है कि ''माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में यह निर्धारित किया गया है कि धारा-494 आई.पी.सी. के तहत मेरे उपर आरोप प्रमाणित नहीं होता है।'' उक्त आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा आई.पी.सी. की धारा-323 एवं 504 के तहत श्री शर्मा के कृत्य को प्रथम दृष्टया दण्ड योग्य माना है। उक्त वाद में आई.पी.सी. की धारा-494 का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों से भी विदित होता है कि उक्त वाद आपसी मार-पीट से संबंधित है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विभागीय एवं न्यायिक

कार्यवाही दो अलग-अलग प्रक्रिया है एवं विभागीय कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक है, जो Evidence act से शासित नहीं होता है। मुख्य अभियंता(यांत्रिक) उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन में अनुमंडल पुलिस अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के दृष्टिगत उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह श्री शर्मा द्वारा समर्पित किया गया स्पष्टीकरण आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के दृष्टिगत न तो संतोषजनक है और न ही बिन्दुवार है। फलत: श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाया गया है।

04. श्री शर्मा का स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कुमार अभिषेक, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री ऋतुराज, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, विश्वविद्यालय, प्रमंडल-पटना पूर्व, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

05. आरोपित श्री शर्मा, आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री रमेश शर्मा, निलंबित वाहन चालक, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री कुमार अभिषेक, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री ऋतुराज, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, विश्वविद्यालय, प्रमंडल-पटना पूर्व, पटना को दी जाय।

07. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-11/आ०5-105/2024- 475 पटना, दिनांक- 25/02/26

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-11/आ०5-105/2024- 475 पटना, दिनांक- 25/02/26

प्रतिलिपिः-श्री कुमार अभिषेक, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व, पटना/श्री ऋतुराज, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, विश्वविद्यालय, प्रमंडल-पटना पूर्व, पटना/श्री रमेश शर्मा, निलंबित वाहन चालक, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनु०:-यथोपरि</u>

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-11/आ०5-105/2024- 475 पटना, दिनांक- 25/02/26

प्रतिलिपिः-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मुख्यालय) के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(प्र०को०)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

25/2/26